भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3552
10.08.2026 को उत्तर के लिए

उत्तराखंड में सीएएमपीए के अंतर्गत वृक्षारोपण

3552. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) सीएएमपीए वृक्षारोपण के लिए प्रयोज्य भूमि की श्रेणी का ब्यौरा क्या है, साथ ही लगाए जाने वाले पौधों की प्रजातियाँ क्या हैं;

(ग) क्या सीएएमपीए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक कार्यसंचालन योजना (एपीओ) में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का पालन करना एक अनिवार्य शर्त है; और

(घ) यदि हाँ, तो सीएएमपीए परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के दौरान सहमति लेने की प्रक्रिया, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अनुपालन और 'वन गुज्जर' जैसे समुदायों को शामिल करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) एवं (ख) उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2026-27 के दौरान 800 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है।

प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) हेतु भूमि का चयन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुरूप किया जाता है, जिनमें यह प्रावधान है कि प्रतिपूरक वनीकरण गैर-वन भूमि अथवा अवक्रमित वन भूमि पर किया जाएगा। तदनुसार, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के भाग के रूप

में चिन्हित एवं अनुमोदित भूमि पर तथा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण किया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने यह सूचित किया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु देशज वृक्ष प्रजातियों का उपयोग करते हुए गैर-वन भूमि तथा अवक्रमित वन भूमि, दोनों की पहचान की जा रही है। इन पौधारोपणों में इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, चारा, फलदार, औषधीय तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियों का मिश्रण शामिल है।

(ग) एवं (घ) प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) का निर्माण एवं कार्यान्वयन प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, वन भूमि पर की जाने वाली गतिविधियाँ, जैसा भी मामला हो, संबंधित ग्राम सभा अथवा ग्राम वन प्रबंधन समिति के परामर्श से तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ लागू हो, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित की जाती हैं।
